



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 84/2025

दिनांक- 05.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-05.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-जहानागंज:-दुष्कर्म करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.02.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रंजीत राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर निवासी धरवारा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को शादी का झासा देकर विगत कुछ वर्षों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है और जब वादिनी द्वारा शादी के सम्बन्ध में बात किया गया तो अभियुक्त द्वारा शादी से मना करते हुए, वादिनी व उसके परिवार वालों को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 73/25 धारा 69/352/351(2) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 05.03.2025 को उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रंजीत राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर निवासी धरवारा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को ब्लाक तिराहा समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0- 73/25 धारा 69, 352, 351(2) बीएनएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. रंजीत राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर निवासी धरवारा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष



02.थाना-रौनापार:-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त व 03 अभियुक्ता गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 04.02.2025 को वादी अनुपम जायसवाल थानाध्यक्ष थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट दाखिल किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 69/25 धारा 2(ख)(I), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1. कमरुन निशा पत्नी स्व0लाला निवासी जलालाबाद, थाना-दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर 2. नेशा पत्नी ईदू निवासी नायकडीह थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर 3. तराना पत्नी एकबाल उर्फ इकबाल निवासी नायकडीह, थाना-दुल्लहपुर, जनपद- गाजीपुर 4. हसीबुन निशा पत्नी सन्ने अहमद निवासी खतीबपुर, थाना सादियाबाद, जनपद- गाजीपुर 5. सहामा उर्फ सहाना पत्नी सिपाही निवासी जलालाबाद, थाना-दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर 6.हसरूननिशा उर्फ हजरून निशा पत्नी मुस्लिम निवासी जलालाबाद, थाना-दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर 7. सूरज पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी ढेकवारा थाना कोपागंज जनपद मऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 05.03.2025 को उ0नि0 विवेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी महुला मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित गैंगेस्टर एक्ट का अभियुक्त सूरज पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी ढेकवारा थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष को बीबीपुर पुल के पास से करीब 01.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

➡मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष रौनापार अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्ता 1.सहामा उर्फ सहाना पत्नी सिपाही निवासी ग्राम जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 51वर्ष 2. हसीबुन निशा पत्नी सन्ने अहमद निवासी ग्राम खतीबपुर थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष 3. हसरूननिशा उर्फ हजरूननिशा पत्नी मुस्लिम निवासी ग्राम जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 47 वर्ष को भीमबर से समय करीब 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 72/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ *(सुरज पुत्र स्व0 राधेश्याम के विरुद्ध)*

आपराधिक इतिहास:-

सुरज पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी ढेकवारा थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष

1. मु0अ0सं0 72/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0 69/25 धारा 2(ख)(I), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
- 3.मु0अ0सं0 375/24 धारा 318(4)/316(2)/303(2)/317(2) बीएनएस थाना रौनापार, आजमगढ़।
- 4.मु0अ0सं0 177/24 धारा 379/411 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

सहामा उर्फ सहाना पत्नी सिपाही निवासी ग्राम जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

- 1.मु0अ0सं0 375/24 धारा 318(4)/316(2)/303(2)/317(2) बीएनएस थाना रौनापार, आजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0 69/25 धारा 2(ख)(I), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

हसीबुन निशा पत्नी सन्ने अहमद निवासी ग्राम खतीबपुर थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 375/24 धारा 318(4)/316(2)/303(2)/317(2) बीएनएस थाना रौनापार, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 727/16 धारा 147/323/336 भादवि थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 69/25 धारा 2(ख)(I), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

हसरूननिशा उर्फ हजरूननिशा पत्नी मुस्लिम निवासी ग्राम जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 375/24 धारा 318(4)/316(2)/303(2)/317(2) बीएनएस थाना रौनापार, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 177/24 धारा 379/411 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 69/25 धारा 2(ख)(I), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुरज पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी ढेकवारा थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष
- 2.सहामा उर्फ सहाना पत्नी सिपाही निवासी ग्राम जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 51वर्ष
3. हसीबुन निशा पत्नी सन्ने अहमद निवासी ग्राम खतीबपुर थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष
4. हसरूननिशा उर्फ हजरूननिशा पत्नी मुस्लिम निवासी ग्राम जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 47 वर्ष

बरामदगी:-

01. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
02. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर



03.धोखाधड़ी कर जमीन रजिस्ट्री कराने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.03.2025 को वादी ओमप्रकाश सरोज पुत्र स्व० बालकिशुन सरोज सा० जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थनापत्र दिया कि दिनांक 10.02.2025 मेरे गाँव के अवधेश सरोज और उनके साथी कैलाश सरोज प्रार्थी द्वारा पूर्व में किये गये एग्रीमेन्ट तोड़वाने और प्रधानमंत्री आवास योजन के तहत आवास दिलाने के के नाम पर गफलत में डालकर फोर हवीलर से आजमगढ़ ले जाकर गाड़ी में ही गाली गलौज देते हुए जान से मार डालने की धमकी देकर जबरजस्ती शराब पिलाकर मारपीट कर हाइवे की जमीन की रजिस्ट्री करा लिये तथा अंगूठा निशान लगवा कर आवेदक के खाते से 80,000/- अस्सी हजार रुपये निकलवाकर ले लिये तथा आधार कार्ड भी रख लिये है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 58/25 धारा 352/351(2)/318(4)/119(1) बीएनएस बनाम अवधेश सरोज आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 05.03.2025 को उ.नि. संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 01. अवधेश कुमार पुत्र श्री परदेशी निवासी डिहिया जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 02. कैलाश सरोज पुत्र टीमल निवासी डिहिया जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को कस्बा रानी की सराय से समय करीब 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.अवधेश कुमार पुत्र श्री परदेशी निवासी डिहिया जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

02.कैलाश सरोज पुत्र टीमल निवासी डिहिया जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु.अ.स. 58/25 धारा 352,351(2),318(4),119(1) बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

